पत्रांक 15/पी 5–10/2013
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
शुद्धि पत्र

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजनान्तर्गत राजकीय महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग में विज्ञान प्रयोगशाला आदि के निमार्ण हेतु कुल रूपये 1,00,00,000/– (एक करोड़) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 100 दिनांक 09.02.2016 द्वारा राज्य योजनान्तर्गत राजकीय महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग में विज्ञान प्रयोगशाला आदि के निमार्ण हेतु कुल रूपये 1,00,00,000/– (एक करोड़) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत्यादेश की कंडिका (4) में वर्णित " स्वीकृत की जानेवाली राशि भी बैक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम उनको उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत राशि पर उदभूत सूद की राशि भी योजना के कियान्वयन में उपयोग में लायी जायेगी एवं समेकित रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।" के स्थान पर निम्नवत् संशोधित संमझा जाए :–

"स्वीकृत की जानेवाली राशि की निकासी कर इसे बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के पी0एल0 खाता में जमा किया जाएगा एवं इसके व्यय के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।"

शेष यथावत रहेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 15/पी 5–10/2013– 626 पटना, दिनाक 31/3 /2016

प्रतिलिपि –विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/वित्त विभाग (स्कीम एवं बजट शाखा)/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंड़ल सचिवालय विभाग/प्रधानाचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग, पटना/निदेशक, उच्च शिक्षा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी– 05 एवं 15 एवं रोकड़पाल, उच्च शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/3/16

(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव